

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 30.12.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से **कुल - 55 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रामऔतार पुत्र स्व० उत्तरी नि० छाछपारा कानूनगो थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 330 / 20, 02. दिनेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र नि० डिहवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 331 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. करिया पासवान पुत्र श्यामलाल नि० बेल्सर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 441 / 20, 02. तिलकराम पुत्र खुशीराम नि० बेल्सर पूरेदीन थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 442 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को०नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. पॉचू पुत्र ननकऊ नि० खिराभा लम्बरदार पुरवा थाना को०नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 1027 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बलराज पुत्र भोलई नि० भौरहा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 524 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजेन्द्र पुत्र निरहू नि० टोला पासी पुरवा मौजा गौरा सिंघनापुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 541 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही –

गोण्डा । बुधवार जनपद गोण्डा के थाना मनकापुर पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त – सभाजीत शर्मा पुत्र रामउग्रह शर्मा नि0 भटपुरवा जवाहर नगर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 488 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही –

गोण्डा । बुधवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त – उमेश कुमार पुत्र सुरजू नि0 वेलहरी बुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 527 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

चोरी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । बुधवार जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने चोरी करने के आरोपी अभियुक्त- संतोष पुत्र लाल जी नि0 बेलहरी थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को थाना धानेपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 352 / 20, धारा 380.411 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 23.10.2020 को वादी भगवानदीन पुत्र रामबरन नि0 माधवगंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के घर में रखे शटर, सीमेंट, फावड़ा, तसला, दरवाजा आदि सामान चोरी कर लिया था । जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना धानेपुर में उक्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें धानेपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद फावड़ा, 01 अदद तसला बरामद कर लिया गया । अभियुक्त को थाना धानेपुर में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

थाना छपिया पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रसीद अंसारी पुत्र कादिर नि0 सरारी थाना गोरया कोरी जिला सिवान बिहार ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 525 / 20, धारा 8 / 22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 220 अलप्राजोलम नशीली गोलियाँ ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.12.2020 को थाना छपिया के उ0नि0 अरुण कुमार राय मय हमराह क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को रेलवे स्टेशन मसकनवा के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 220 अलप्राजोलम की नशीली गोलियाँ बरामद किया गया । अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के

आधार पर थाना छपिया में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय खाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उनि अरुण कुमार राय ।
02. का सुधीर ।
03. का मनोज ।
04. का सचिन ।